इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

[इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेडड की एसपीवी]

सीआईएन: U45400DL2014GOI272220

दूसरी वार्षिक रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष : 2015-16)

बीकानेर - फलौदी राजमार्ग परियोजना (रा.रा-15)

राजस्थान राज्य

विजन एवं मिशन विवरण

विजन

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर बीकानेर-फलौदी खंड की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और विकास तथा इससे राजमार्ग परियोजना प्रयोक्ताओं के लाभ को सुनिश्चित करना और निर्मित टोल प्लाजा से उच्च राजस्व सुनिश्चित करना और कंपनी को इष्टतम समयावधि के भीतर अनुमानित परियोजना परिणामों के निर्धारित मानकों के स्तर तक पहुंचाना।

मिशन

(i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।

(ii) परियोजना के क्रियान्वयन और प्रचालनीकरण की उत्तरदायित्वपूर्ण मॉनीटरिंग करना।

(iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।

(iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।

~~~~~***~~~~~

कंपनी का सृजन

कंपनी का शिलान्यास 30 सितंबर 2014 को किया गया था

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार के अनुसार रियायतग्राही के रूप में निगमित

व्यावसायिक उद्देश्य

राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण

रियायत अवधि : 26 वर्ष

दिनांक 07.11.2014 को हस्ताक्षरित रियायत करार के माध्यम से परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए विशिष्ट अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकार के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रियायत प्रदान की गई है।

वित्तीय समापन और नियुक्ति तिथि

वित्तीय समापन प्राप्त करने की तिथि: 30.04.2015
(प्रमुख ऋणदाता के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर की तिथि)

एनएचएआई द्वारा अधिसूचित नियुक्ति तिथि: 14.10.2015
(बीकानेर-फलौदी परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियों के आरंभ होने की तिथि)

वर्तमान परियोजना स्थिति

विकास अवधि (चरण): आरंभिक परियोजना सिविल कार्य

निर्माण/प्रचालन अवधि: नियुक्ति-पूर्व तिथि

~~~~***~~~~~

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल

[अंशकालीन (नामिती) निदेशक]

श्री दीपक सबलोक

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

पदनाम: निदेशक (परियोजना), इरकॉन

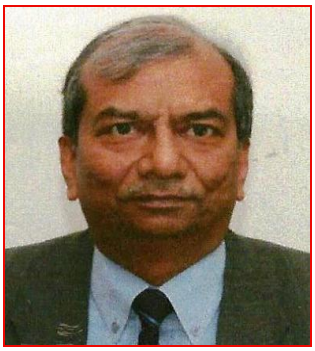

श्री अनिल जैन

डीआईएन: 05283217

पदनाम: कार्यपालक निदेशक/कार्य, इरकॉन

श्री अशोक कुमार गोयल

डीआईएन: 05308809

पदनाम: पदनाम: कार्यपालक निदेशक/परियोजना,इरकॉन

श्री ए.के.सिंह

डीआईएन: 07018776

पदनाम: महाप्रबंधक/निगमित/वित्त

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के प्रमुख कार्यपालक

श्री अजय कुमार सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सुश्री तनजीत कौर
मुख्य वित्त अधिकारी

सुश्री शुदोधनी
कंपनी सचिव

इरकॉन पीबीटीएल की वित्तीय विशेषताएं

(31 **मार्च 2016 को**)

शेयर पूंजी का विवरण	राशि रूपए में
प्राधिकृत शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रूपए के 17,50,00,000 शेयर)	**1,75,00,00,000**
अंशदायी इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रूपए के 9,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**90,00,00,000**
निवल परिसंपत्ति	**92,63,95,471**
आरक्षित निधि एवं अतिरेक	**2,63,95,471**

31 मार्च 2016 को इक्विटी शेयर पूंजी

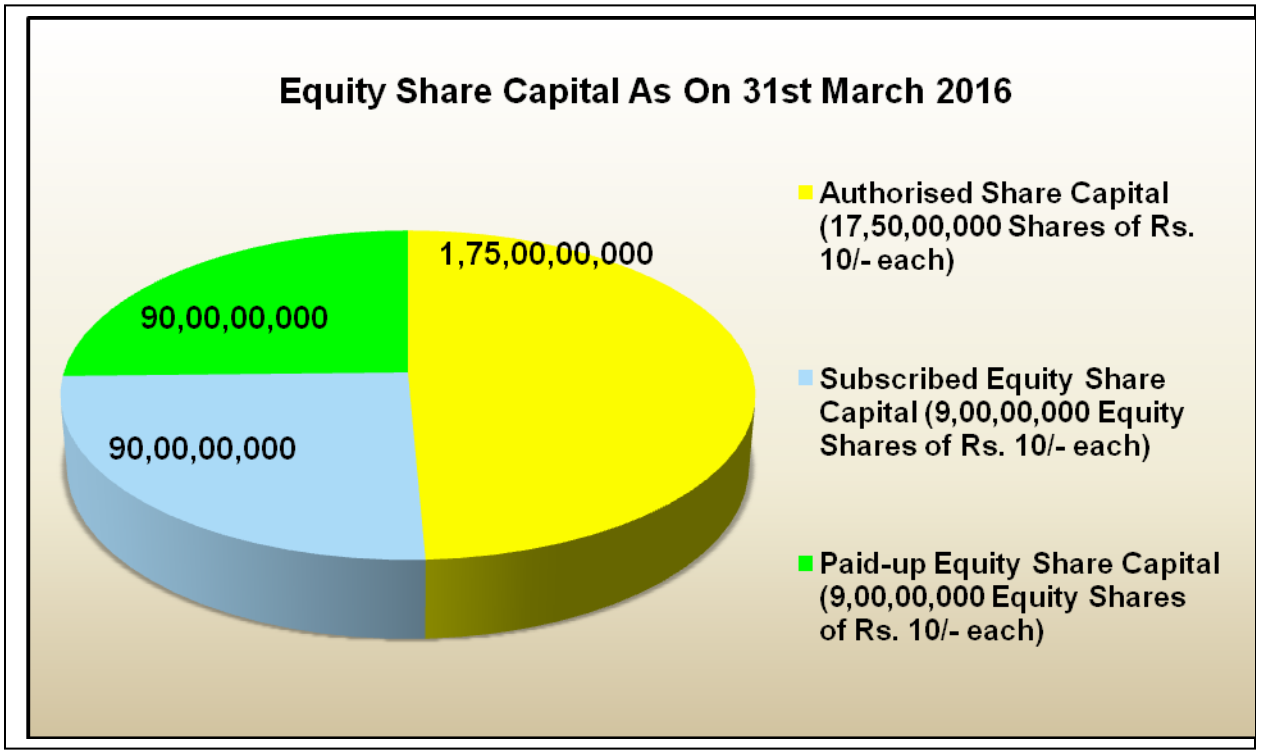

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय गणमान्य शेयरधारकों/सदस्यों

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल) की दूसरी वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वातग करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, निदेशक की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट सहित यह वार्षिक रिपोर्ट आपको परिपत्रित की गई है और आपकी अनुमति से मैं यह मानता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा।

परियोजना का परिचय

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड का निगमन राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 से आपकी कंपनी से एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार में निर्धारित विभिन्न शर्तों और

लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रगति की है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि परियोजना स्थल में निर्माण कार्य आरंभ हो गया है।

मैं आपको वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी की कुछ प्रमुख विशेषताओं और हाल में हुई गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अनुसूचित निर्माण अवधि

परियोजना के इसके आरंभ होने की तिथि यथा 14.10.2015 से 910 दिनों के भीतर यथा 11.04.2018 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है और निर्माण कार्य अनुसूची के अनुसार प्रगतिरत है।

राजस्व अनुमान

परियोजना की अनुमानित आरंभिक प्रतिफल दर (आईआरआर) 14.59% है और रियायत अवधि 26 वर्ष है।

परियोजना की प्रगति

एक एसपीवी होने के कारण इरकॉन पीबीटीएल को अनेक रियायत उन्मुखी दायित्वों को निष्पादित करना आवश्यक होता है, इस क्षेत्र में अब तक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

1. दिनांक 30.04.2015 को वित्तीय समापन प्राप्त किया गया है।
2. परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियों को आरंभ करने की तिथि के रूप में दिनांक 14.10.2015 को एनएचएआई द्वारा नियुक्ति तिथि की घोषणा।
3. सड़का निर्माण के निष्पादन का कार्य मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को सौंपा गया था और अब तक 114.30 करोड़ रूपए की वित्तीय प्रगति प्राप्त की गई है।
4. एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के प्रथम लक्ष्य यथा परियोजना लागत के 10 प्रतिशत को पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

वित्तीय और प्रचालनिक स्थिति

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 175 करोड़ रूपए है और दिनांक 31.03.2016 को प्रदत्त शेयर पूंजी 90 करोड़ रूपए है। इसके अतिरिक्त, परियोजना में 50 करोड़ रूपए की इक्विटी सहायता को

शामिल किया गया है, जिससे दिनांक 22.07.2016 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 140 करोड़ रूपए हो गई है।

अनुपालन और प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत इसके संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुपालन और प्रकटनों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी लोक उपक्रम विभाग (डीईपी) द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आगे यह भी नोट किया जाए कि आपकी कंपनी ने दिनांक 26.07.2016 को धारक कंपनी इरकॉन के साथ पहले समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके प्रति पूर्णत प्रतिबद्ध है।

समापन टिप्पणियां

मैं इन शब्दों के साथ अपने संबोधन का समापन करता हूं कि इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन द्वारा निर्मित एसपीवी के रूप में निर्धारित समय सीमा में इस परियोजना को पूरा करने के प्रति सर्वोत्तम प्रयास करेगी और सर्वेश्रेष्ठ औद्योगिक पद्धितियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी।

आभारोक्ति

मैं धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को निरंतर समर्थन और सहयोग तथा वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद तथा आभाग प्रकट करता हूं।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड हेतु तथा की ओर से

ह0/-

दीपक सबलोक

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 27.09.2016

स्थान: नई दिल्ली

इरकॉन पीबीटीएल की वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु

क्र.सं	विवरण	नोट सं.	पृष्ठ सं
1.	**निदेशक की रिपोर्ट**		**11 to 63**
2.	**लेखापरीक्षक की रिपोर्ट**		**64 to 76**
3.	**वार्षिक वित्तीय विवरण** (2015-16)		
	➢ **तुलन पत्र**		**78**
	➢ **लाभ और हानि विवरण**		**79**
	➢ **रोकड़ प्रवाह विवरण**		**80**
	➢ **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**	**1**	**81 to 86**
	➢ **लेखों के नोट**	**2 से17**	**87** से **97**
	➢ **वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नोट**	**18**	**98** से **101**
4.	**नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां**		**102** से 103

निदेशक की रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2015 – 2016)

निदेशक की रिपोर्ट

कंपनी के सदस्यों

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय तथा प्रचालनों व लेखों पर अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

क. कंपनी का व्यवसाय प्रचालन

इरकॉन पीबीटीएल का निगमन दिनांक 30.09.2014 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") द्वारा एक एसपीवी के रूप में हुए है और दिनांक 21.09.2015 को इसकी पहली वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें वर्ष 2014-15 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम निदेशक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे व लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं थीं।

कंपनी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार में निर्धारित "शर्तगत दृष्टांत" के साथ अनुपालन करने के लिए रियायतग्राही के रूप में कार्य करते हुए, तथा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर बीकानेर-फलैदी परियोजना के निष्पादन हेतु, पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 के समापन से विविध उपलब्धियां प्राप्त की हैं और निम्नानुसार व्यापक व्यवसाय प्रगति की है:

(i) **वित्तीय समापन:** इरकॉन लिए गए 352 करोड़ रूपए की राशि के लिए ऋण करार के निष्पादन के प्रावधान के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 180 दिनों के भीतर वित्तीय समापन को प्राप्त करना अपेक्षित है। इसे रियायतग्राही द्वारा ऋण निधियों को

प्राप्त करने के आश्वासन के लिए इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन के बीच निष्पादित ऋण करार को प्रस्तुत करने की तिथि के रूप में दिनांक 30.04.2015 को प्राप्त किया गया था (इरकॉन पीबीटीएल द्वारा इरकॉनको प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्धारित अनुसूची के आधार पर)।

(ii) **एस्क्रो और प्रतिस्थापन करार का निष्पादन:** एस्क्रो और प्रतिस्थापन करार का निष्पादन क्रमश: दिनांक 10 अगस्त 2015 तथा 16 जुलाई 2015 को किया गया था, ताकि इससे सभी आहरणों और डिपॉजिटों को प्रभावी बनाने के लिए एस्क्रा बैंक खाते की स्थापना की जा सके और रियायतग्राही के रूप में अपेक्षित अन्य निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

(iii) **निर्धारित तिथि:** एनएचएआई ने बीकानेर-फलौदी परियोजना स्थन में "निर्माण गतिविधियों को आरंभ करने" के लिए दिनांक 14.10.2015 को नियुक्ति तिथि के रूप में घोषित किया है। तद्नुसार निर्माण कार्य आरंभ हो गया है और ईपीसी ठेकेदार - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) द्वारा निरंतर गति से सड़क निर्माण सामग्री को बिछाने, खुदाई और नीव का कार्य किया जा रहा है।

(iv) **पूंजीगत प्रगतिरत कार्य (पूंजी डब्ल्यूआईपी):** कंपनी में व्यापक स्तर पर प्रगतिरत कार्य हैं और दिनांक 31.03.2016 को इसे तुलन पत्र में पूंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए पूंजी डब्ल्यूआईपी का अनुमान अप्रैल 2018 तक समाप्त होने वाले संभावित अनुसूचित कार्य के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसके आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रूपए में)

वित्तीय व्यय (निर्माण चरण के दौरान पूंजीगत व्यय)	**वित्तीय वर्ष : 15-16 (वास्तविक आंकड़े)**	**वित्तीय वर्ष : 16-17**	**वित्तीय वर्ष : 17-18**
		(अनुमानित)	
पूंजीगत प्रगतिरत कार्य	45.89	250	548.11

क. वित्तीय निष्पादन

चूंकि बीकानेर-फलौदी परियोजना स्थल में निर्माण कार्य के निर्धारित तिथि (14.10.2015) से 2.5 वर्षों के भीतर अर्थात 11.04.2018 तक पूरा होने की संभावना है, परियोजना प्रचालनों (टर्नओवर) से आय, निर्माण पूरा होने के पश्चात आरंभ होगी।

वर्तमान में, कंपनी को सावधि जमा राशियों पर ब्याज आय प्राप्त हो रही है और दिनांक 31.03.2016 को इसकी निवल परिसंपत्ति 92,63,95,471/- रूपए हो गई है जो दिनांक 31.03.2015 में केवल 3,91,42,702/- रूपए थी और इसमें 88,72,52,769/- रूपए की वृद्धि हुई है।

दिनांक 31.03.2015 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष से कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय निष्पादन को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

तालिका I : तुलनात्मक वित्तीय निष्पादन (वि.व: 2015-16 बनाम वि.व: 2014-15)

(राशि रूपए में)

क्र.सं	**विवरण**	**31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु**	**31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु**
		लेखापरीक्षित आंकड़े	
1.	प्रचालनों से आय	-	-
2.	अन्य आय	5,78,32,722	10,94,403
3.	**कुल आय (1 + 2)**	**5,78,32,722**	**10,94,403**
4.	कुल व्यय	17,59,204	1,58,64,318
5.	कर पूर्व लाभ (3-4)	5,60,73,518	(1,47,69,915)
6.	कर व्यय	1,88,20,749	(39,12,617)
7.	**कर पश्चात लाभ (पीएटी)**	**3,72,52,769**	**(1,08,57,298)**
8.	**निवल संपत्ति***	**92,63,95,471**	**3,91,42,702**
9.	**प्रति शेयर आमदनी**	**0.45**	**(2.17)**

क. परियोजना रोकड़ प्रवाह

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से सृजित रोकड़ प्रवाह निम्नानुसार है:-

तालिका I: व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह (वित्त वर्ष : 2014-15)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	**विवरण**	**राशि**	
1.	**प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	5,60,73,518	
	समायोजन:-		
	गैर प्रचालनिक आय और व्यय	- 5,70,44,781	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन	16,77,88,227	
	प्रदत्त कर	-1,17,84,613	
	प्रचालनों से सृजित रोकड़ (क)		**15,50,32,351**
2.	**निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद (पूंजीगत डब्ल्यूआईपी)	- 45,89,58,256	
	प्राप्त ब्याज	5,78,32,722	
	निवेश से अर्जित रोकड़(ख)		**- 40,11,25,534**
3.	**वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	शेयर पूंजी	85,00,00,000	
	शेयर आवेदन राशि	- 85,00,00,000	
	वित्तपोषण स्रोतों से अर्जित रोकड़ (ग)		**शून्य**
	सृजिज कुल रोकड़ प्रवाह (क) + (ख) + (ग)		**- 24,60,93,183**

उपर्युक्त तालिका स्पष्ट रूप से कंपनी के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में रोकड़ प्रवाह विवरण (एएस-3) को तैयार करने के लिए प्रयुक्त विधि के समान रूप से, **''अप्रत्यक्ष विधि''** पर आधारित वित्त वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों को दर्शाती है।

इसलिए, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य आंकड़े कम होकर 24,60,93,183/- रूपए हो गए हैं, जनमें एस्क्रो बैंक खातों और इसके उप-खातों में मौजूदा शेष राशि 1,53,76,546/-

रूपए तथा सावधि जमा खातों में 62,27,53,823/- रूपए हैं जो एनएचएआई के साथ निष्पादित एस्क्रो करार की शर्तों के अनुसार निर्धारित शेष के भाग हैं।

क. पूंजीगत संरचना

844 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) के वित्तपोषण के संबंध में यथानुमोदित कंपनी की पूंजीगत संरचना को 165 करोड़ रूपए की इक्विटी शेयर पूंजी, 352 करोड़ रूपए के ऋण तथा एनएचएआई से 327 करोड़ रूपए के अनुदान में विभाजित किया गया है।

आज की तिथि को, इक्विटी शेयर पूंजी 140 करोड़ रूपए है (175 करोड़ रूपए के कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी में से), जिसमें ऋण और अनुदान शून्य हैं। कंपनी की इक्विटी और ऋण की संरचना निम्नानुसार है:-

तालिका IIII: इरकॉन पीबीटीएल

(31.07.2016 को)

क्र.सं	**विवरण**	**रूपए करोड़ में**	
		कुल अनुमोदित	**अब तक प्राप्त**
कुल परियोजना लागत: 844 करोड़ रूपए			
प्राधिकृत शेयर पूंजी : 175 करोड़ रूपए			
1.	जारी, अंशदान तथा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	165	140
2.	ऋण पूंजी	352	शून्य
3.	**कुल पूंजी (1 + 2)**	**517**	**140**
4.	**एनएचएआई अनुदान (शर्तगत इक्विटी सहायता)**	**327**	**शून्य**
5.	**कुल राशि (3+4)**	**844**	**140**

ङ. प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट को निदेशक की रिपोर्ट के अनुबंध-। के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

च. निदेशक और प्रमुख कार्मिक

कंपनी के प्रबंधन का कार्य कंपनी के निदेशक मंडल के रूप में चार गैर-कार्यपालक नामिती निदेशकों और तीन प्रमुख कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल

क्र.सं	निदेशक	**नियुक्ति की तिथि**	**डीआईएन/पीएएन सं.**
1.	श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष	30.09.2014	03056457
2.	श्री अनिल जैन, अंशकालीन निदेशक	30.09.2014	05283217
3.	श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक	30.09.2014	05308809
4.	श्री ए.के.सिंह, अंशकालीन निदेशक*	21.07.2016	07018776

* इरकॉन पीबीटीएल ने अपनी धारक कंपनी, इरकॉन से अनुरोध किया है कि इसके बोर्ड की लेखापरीक्षा और नामांकन तथा पारिश्रमिक समितियों के गठन के लिए वित्तीय क्षेत्र के निदेशक को नामित किया जाए। तद्नुसार, इरकॉन ने अपनी 228वीं बोर्ड बैठक में मद सं. 72/16 के तहत इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में अंशकालीन निदेशक के रूप में श्री ए.के.सिंह को नामित किया है।

श्री ए.के.सिंह ने वित्तीय ज्ञान प्राप्त अंशकालीन निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए फॉर्म डीआईआर-2 में निदेशक के पद पर कार्य करने की उनकी सहमति की प्राप्ति की तिथि यथा 21.07.2016 से इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रमुख कार्मिक

क्र.सं	कंपनी के प्रमुख कार्मिक	**नियुक्ति की तिथि**	**डीआईएन/पीएएन सं.**
1.	श्री ए.के.सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी	27.02.2015	03056457
2.	सुश्री तनजीत कौर, मुख्य वित्तीय अधिकारी	07.11.2014	05283217
3.	सुश्री सुदोधनी, कंपनी सचिव	17.03.2015	CLPPS8601B

छ. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण (डीआरएस)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।

ग) निदेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए हैं।

ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

ज. अनुच्छेद 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम,22014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149(4) के अनुसरण में, 10 लाख या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनी (नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आंकड़ों के आधार पर) के लिए अपने बोर्ड में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक-तिहानी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति करना अपेक्षित है।

इरकॉन पीबीटीएल की 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रदत्त शेयर पूंजी 5 करोड़ रूपए है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 62(1)(क) के अंतर्गत कंपनी के प्रथम राइट इश्यु के माध्यम से इरकॉन को 8.50 करोड़ इकिवटी शेयरों के आवंटन कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 05 करोड़ रूपए से बढ़कर 90 करोड़ रूपए हो गई है। 8.50 करोड़ इक्विटी शेयरों के उक्त आवंटन को दिनांक 29.04.2015 को आयोजित बोर्ड बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था।

चूंकि कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी का मूल्य उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में निहित आंकड़ों के अनुसार हैं, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान लागू नहीं था क्योंकि 31.03.2015 को प्रदत्त शेयर पूंजी के लिए लेखापरीक्षित आकड़े 5 करोड़ रूपए हैं।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधितय प्रावधान लागू हुए और इनका अनुपालन किया गया है।

इसके अतिरिक्ति, यह नोट किया जाए कि पिछले वित्तीय वर्श 2015-16 में 90 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी होने पर 10 करोड़ रूपए की सीमा पर करने पर इरकॉन पीबीटीएल द्वारा अपनी धारक कंपनी, इरकॉन से सक्रीय रूप से अनुरोध किया गया था कि इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नामांकन करे। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 दोनों ही दृष्टिकोणों से सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवधि को सुनिश्चित किया जा सके।

झ. अंतर निगमित ऋण और निवेश (अनुच्छेद 185 तथा अनुचछेद 186)

निदेशकों, कॉरपोरेटों तथा अन्य निकायों को ऋण तथा निवेश कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186 द्वारा शासित होते हैं। इन प्रावधानों में दिए जाने वाले ऋण तथा निवेश की शर्तों तथा प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

आज की तिथि तक कंपनी ने कोई अंतरनिगमित ऋण या निवेश नहीं किया है और इस प्रकार आज की तिथि को संव्यवहार शून्य है।

ञ. प्रमोटरों की शेयरधारिता का पैटर्न

इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, इसलिए इसकी सम्पूर्ण इक्विटी शेयरधारिता रेल मंत्रालय के अधीन एक भारत सरकार के उपक्रम यथा इसकी प्रमोटर कंपनी इरकॉन के पास है। सम्पूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी (100%) इरकॉन और इसके 6 नामितियों के नाम पर है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका IV : इरकॉन पीबीटीएल की मौजूदा शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारक का नाम	**धारित इक्विटी शेयरों की संख्या**	**धारित इक्विटी शेयरों का कुल मूल्य**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 6 नामिती (प्रति 10 रूपए के 14,00,00,000 इक्विटी शेयर)	14,00,00,000	140,00,00,000	100%
कुल	**14,00,00,000**	**140,00,00,000**	**100%**

ट. वार्षिक रिपोर्ट का सार – एमजीटी-9

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम,2014 के नियम 12(1) के साथ पठित अनुच्छेद 92(3) (अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षा) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का सार **अनुबंध-।।** के रूप में संलग्न है।

ठ. संबंधित पक्ष संव्यवहार (आरपीटी)

[कंपनी (बोर्ड की बैठके और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 का अनुच्छेद 188 - संबंधित पक्ष के साथ संविदाएं या व्यवस्थाएं]

कंपनी के प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधन या उनके संबंधितयों के साथ कोई सामग्रीगत महत्वपूर्ण पक्ष संव्यवहार नहीं हैं, जिनसे कंपनी के हितों के साथ संभावित गतिरोध हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए पक्ष संबंधी संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर थे और वे व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया के रूप में थे।

दिनांक 5 सितंबर 2016 को आयोजित निदेशक मंडल की 16वीं बैठक में, बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए पक्ष संबंधी संव्यवहारों को नोट किया गया था।

कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) के अनुसार अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों के संबंध में प्रकटन फार्म संख्या एओसी-2 में कंपनी द्वारा अनुबंध-।। के रूप में संलग्न है।

ङ. लाभांश तथा आरक्षित निधियां

आपकी कंपनी का निगमन 30 सितंबर, 2014 हुआ था और इसे 30 सितंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए 1,08,57,298/- रूपए का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी ने 3,72,52,769/- रूपए (तीन करोड़ बहत्तर लाख बावन हजार सात सौ उन्हत्तर रूपए) का वितरणयोग्य लाभ प्राप्त हुए है कोई लाभ अर्जित नहीं किया है और इस प्रकार निदेशक मंडल ने उक्त वर्ष के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है।

तदनुसार, 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी की आरक्षित निधि और अतिरेक स्थिति 2,63,95,471/- रूपए है जिसमें आरक्षित निधियों के सृजन के प्रति शून्य विनियोजन है।

वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी को प्राथमिक तथा प्रशासनिक व्ययों के कारण 10857298/- रुपए की राशि के समान वित्त हानि होने के कारण उसकी आरक्षित निधि तथा सरप्लस में ऋणात्मक शेष है और कंपनी का व्यावसायिक प्रचालन वर्ष 2018 से प्रारंभ नहीं होगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी के परियोजना प्रचालन वर्तमान में शून्य प्रचालनिक आय के साथ निर्माण अवस्था में हैं, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए किसी प्रकार के लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया है।

ढ. जमा राशियां

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसरण में अपने सदस्यों से कोई जमा राशियां आमंत्रित नहीं की हैं।

ण. पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण, ऊजा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा आउटगो

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजमार्ग के निर्माण के दौरान पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई द्वारा निर्धारित अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त उपाय किए गए हैं। रियायतग्राही के रूप में कंपनी द्वारा पूरे किए जाने की शर्त के भाग के रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिरियम, वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों को विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है।

विदेशी आमदनी और आउटगो को सुनिश्चित किए जाने हेतु एनएचएआई द्वारा निर्धारित उपयुक्त उपाय कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी विशुद्ध रूप से एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई बीओटी आधारित परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है।

त.वित्तीय विवरणों पर सांविधिक और सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक थे मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षक, फर्म संख्या 00044एन, पंजीकृत कार्यालय - 23, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली-110001 है। दिनांक 10.06.2016 के कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शून्य आपत्तियां थीं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की गई थी।

थ. वित्तीय विवरणों के लिए निदेशक के अवलोकन और टिप्पणियां (लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट में की गई किसी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण)

वित्तीय विवरण लेखांकन की दोहरी प्रविष्टी प्रणाली के आधार पर लेखों की वास्तविक और न्यायोचित स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें लाभ और हानियों को संचित आधार पर लेखांकित किया जाता है, जरनल में अंकित हरएक संव्यवहार, ट्रायल शेष का निष्पादन, त्रुटियों का शुद्धिकरण और लेखों के शेष को बही में पोस्ट किया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने गहनता से अपनी रिपोर्ट में सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों तथा टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरणों का गहन मूल्यांकन किया है और इसे लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए शून्य अर्हताओं सहित पूर्णत: व्यवस्थित पाया है।

द. लागू कानूनों के अनुपालन पर सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और परिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से कंपनी पर सचिवीय लेखापरीक्षा लागू हो गई है।

तद्नुसार, मैसर्स अखिल रस्तोगी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, जिसमें श्री अखिल रस्तोगी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं जिनका सीओपी सं. 2317 तथा सदस्यता सं. 1600 है, को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।
निर्धारित प्रारूप एमआर-3 में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबंध-IV पर संलग्न है।

ध. सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर बोर्ड का उत्तर

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 0.09.2016 को आयोजित अपनी 16वीं बैठक में वित्तीय वष्र 2015-16 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक मैसर्स अखिल रस्तोगी एंड कंपनी, कंपनी सचिव

क्षरा जारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को नोट किया हे। **बोर्ड ने सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के लिए फॉर्म एमआर-3 में निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किए हैं:**

1. **स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की नियुक्ति तथा अनिवार्य समितियों का गठन:-** बोर्ड एतदद्वारा प्रस्तुत करता है कि इरकॉन पीबीटीएल एकल परियोजना निष्पादन के लिए निर्मित एक एसपीवी है और इसलिए डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार अनुपालन हेतु स्वतंत्र निदेशक (गैर कार्यपालक पद) की नियुक्ति के लिए धारक कंपनी को पत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त, क्रियाशील निदेशक की किसी नियुक्ति के लिए भी धारक कंपनी को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है।

   वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 26.08.2015 को आयोजित निदेशक मंडल की 9वीं बैठक में अनिवार्य समितियों के गठन का मुद्दा उठाया गया था, और वित्तीय ज्ञान प्राप्त एक अंशकालीन निदेशक को नियुक्ति करने के निर्णय को अनुमोदन प्रदान किया गया था और इस संबंध में धारक कंपनी को अनुरोध पत्र जारी किया गया था। दिनांक 31.07.2016 को इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में अंशकालीन निदेशक ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

   उपर्युक्त के दृष्टिगत, बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड द्वारा इस अनुपालन को नोट कर लिया गया है और बोर्ड के गठन तथा बोर्ड समितियों के गठन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

2. **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) की नियुक्ति:** समिति एतद्द्वारा उल्लेख करती है कि कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमित) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 203 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में मुख्य वित्त अधिकारी की घोषणा की अपेक्षा, दिनांक 29.04.2015 को 90 करोड़ रूपए तक प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि होने के कारण कंपनी पर लागू हो गया था। इसके परिणामस्वरूप, बोर्ड द्वारा अनुपालन को नोट किया गया। चूंकि प्रस्ताव कंपनी में नए मुख्य वित्त अधिकारी को नियुक्त करना था, इसलिए, बोर्ड द्वारा अनुपालन को नोट किया गया था। चूंकि प्रस्ताव कंपनी में नए मुख्य वित्त अधिकारी को नियुक्त करने के लिए था, इसलिए, इस मामले को होल्ड में रखा गया था। नए मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण, पिछले

मुख्य वित्त अधिकारी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में घोषित किए जाने और सांविधिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करने पर सहमति व्यक्ति की गई है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, बोर्ड उल्लेख करती है कि अनुमोदन हेतु और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार केएमपी के रूप में मुख्य वित्त अधिकारी की नियुक्ति के लिए इस अनुपालन को बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. **डीपीई को तिमाही रिपोर्टें और वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना**:- बोर्ड एतद्द्वारा उल्लेख करता है कि निगमित शासन अनुपालन के लिए डीपीई को तिमाही और वार्षिक आधर पर रिपोर्टें प्रस्तुत करने के विषय को नोट कर लिया गया है और अगली रिपोर्टिंग अवधि से इसका अनुसरण किया जाएगा।

न. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इसकी उपयुक्तता

वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक लेखांकन नियंत्रण (आईएससी) स्वीकार की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं, परिसंपत्ति प्रावधान तथा व्ययों और आयों की रिकार्डिंग (वित्तीय रिपोर्टों) के अनुसरण में अपनाए जाने वाले उचित सुरक्षा उपायों से संबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 तथा कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, में प्रावधान है कि लेखा परीक्षकों द्वारा व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति से आरंभ करते हुए कंपनी में मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट उल्लेख किया जाएगा।

ऊपर उल्लिखित विषय के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2015-16 से आरंभ होने वाली परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान निगमित कंपनी के पास भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखपरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट की शर्तों के अनुसार यथापेक्षित इसके सभी सामग्रीगत पहलुओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) विद्यमान है, जैसा कि समान रूप से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटक उपयुक्त पाए गए हैं।

ऩ. जोखिम प्रबंधन

चूंकि कंपनी एक रियायतग्राह कंपनी है, जिसका गठन बीकानेर-फलौदी परियोजना के लिए इरकॉन को जारी कार्य प्रदान पत्र के अनुसरण में किया गया है, निम्नलिखित के माध्यम से विधिवत रूप से परियोजना से संबंधित जोखिम तत्व को शामिल किया गया है:

(i) एनएचएआई द्वारा आकलित और अनुमोदित अनुसार परियोजना वित्तपोषण किया गया है।

(ii) एस्क्रो और प्रतिस्थापन करार - एस्क्रो बैंक खाते से सभी परियोजना संबंधी जमा राशियां व आहरणों का समेकन आर रियायतग्राही के रूप में अन्य कंपनी का प्रतिस्थापन, यदि इरकॉन पीबीटीएल द्वारा चूक की जाती है।

(iii) कंपनी द्वारा नियमित रूप से निर्माण की विधिवत मॉनीटरिंग की जाती है।

इसके अनुक्रम में, कंपनी को होने वाले जोखिम के तत्वों की पहचान करने के लिए, जैसा कि पिछली बोर्ड रिपोर्ट में कहा गया है, ''जोखिम प्रबंधन नीति'' की उपस्थिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने संभावित विलंबों सहित 2.50 वर्षों की अनुमानित निर्माण अवधि निर्धारित की है जिसमें 3 वर्ष की मोराटोरियम अवधि रखी गई है, प्रधान राशि तथा ऋण का पुनर्भुगतान अप्रैल, 2018 से पूर्व आरंभ (ऋण सेवा हेतु) नहीं होगा। और परियोजना लागत में वृद्धि होने की स्थिति में एनएचआई की सहायता उपलब्ध होगी।

कंपनी ने टोल दरों, प्रचालकों से संभावित राजस्वों तथा रियायत अवधि के लिए अनुमानित शुद्ध लाभ का निर्धारण करते हुए एक वित्तीय मॉडल विकसित किया है। इसी तर्ज पर, व्यवसाय की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाली टोल दरों में संशोधन समय आधार पर किया जाएगा तथा बजटीय अनुमानों से परिवर्तनों का परिकलन किया जाएगा और इन्हें नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जाएंगे।

कंपनी द्वारा कतिपय जोखिम प्रबंधन मापदण्ड चिह्नित किए गए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

तालिका III: परियोजना से संबंधित जोखित तत्व

क्र.सं	**जोखिम तत्व**	**विवरण**
1	निर्माण अवधि	प्रचालनों की अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि (सीओडी) में विलंब सहित नियंत्रित किए जाने वाले प्रमुख कारक निमाण अवधि में

		विलंब है।
2	ऋण सेवा अनुपात	कंपनी को त्रुटि के जोखिम को कम करने के लिए समय पर ऋण के पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।
3	यातयात संबंधित राजस्व जोखिम	वाणिज्यिक यातायात से राजस्व संभाव्यता अधिक है किन्तु यह आर्थिक चक्रों में उच्चावचन के मद्देनजर है।

परियोजना स्थल पर कार्य की प्रगति की विस्तृत मॉनीटरिंग और वांछित कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक जोखिम नियंत्रण के मूल्यांकन के पश्चात एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जाएगा और उसे क्रियात्मक बनाया जाएगा।

प. कर्मचारी पारिश्रमिक पर प्रकटन

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-197 के अनुसरण में, कंपनी के किसी भी कार्मिक को प्रति वर्ष 60 लाख रूपए या प्रति माह 5,00,000/- रूपए से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था।

फ. निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के अनुबंध-V के रूप में संलग्न किया गया है।

ब. आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनच्छेद 138 के अनुसार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रूपए या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनियों को एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने की अपेक्षा पूर्व वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 5 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनी पर सांविधिक रूप से लागू नहीं थी। किन्तु, चूंकि इरकॉन को 8.50 करोड़ इक्विटी शेयरों के आवंटन के के कारण कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 50 करोड़ रूपए की अंतिम सीमा से अधिक हो गई थी, और प्रदत्त शेयर पूंजी 90 करोड़ हो गई थी, तथा इसकी सूचना कंपनियों के रजिस्ट्रार को प्रदान की गई, आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई थी। मैसर्स बंसल सिन्हा एंड कंपनी, जिसका कार्यालय 18/19, ओल्ड राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 है, को कंपनी के हितों की सुरक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

भ. सांविधिक लेखापरीक्षक (वित्तीय वर्ष: 16-17)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी, संनदी लेखाकार, फर्म पंजीकरण सं. 000044एन, पंजीकृत कार्यालय- 23, भाई वीर सिंह मार्ग, कोल मार्किट, नई दिल्ली-110001
को नियुक्त किया गया है।

म. कंपनी के बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईसीबी), जिसका शाखा कार्यालय: प्रथम तल, बालिका भवन, ब्लॉक बी, सेक्टर 13, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066 में है, कंपनी के नाम पर चालू खाता, एस्क्रो खाता खोलने और साविधि जमा (एफडी) के अनुरक्षण की सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से कंपनी के लिए एकमात्र बैंकिंग साक्षेदार के रूप में कार्य कर रहा है।

य. सहायक, संबद्ध और संयुक्त उद्यम कंपनियां

आज की तिथि को कंपनी की कोई सहायक, संबद्ध या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

र. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल (इरकॉन) के साथ दिनांक 26.07.2016 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पूंजीगत व्यय, नीव के लिए खुदाई कार्य के पूरा होने, डब्ल्यूएमएम और डीबीएम की दृष्टि से निष्पादन मूल्यांकन मापदंड को निर्धारित किया गया है।

ऱ. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, निषेध एवं निदान)अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, निषेध एवं निदान)अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन महिला कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन पर लाग होता है। यदि एक संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है तो, उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 4 की शर्तों के अंतर्गत **"आंतरिक शिकायत समिति"** का गठन अपेक्षित है।

इरकॉन पीबीटीएल में कर्मचारियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में 10 की निर्धारित सीमा को पार कर गई है, जहां बीकानेर-फलौदी परियोजना के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और स्थल प्रबंधन के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करना वांछनीय था।

तदनुसार, यह देखते हुए कि कर्मचारियों की संख्या सीमा से अधिक हो गई है और निदेशक मंडल की विधिवत रूप से आयोजित बैठक में समिति के गठन की आवश्यकताओं का आकलन करने पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान "**आंतरिक शिकायत समिति**" का गठन किया जाएगा।

ल. वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से एजीएम की रिपोर्ट की तिथि तक सामग्रीगत परिवर्तनों और प्रभावित प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा

तुलनपत्र-पश्चात तिथि को किए गए कतिपय अनिवार्य व्यवसायिक मुद्दों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

क्र.सं	विवरण	विवरण
1.	इरकॉन को जारी 5 करोड़ इक्विटी शेयरों को जारी करना व उनका आवंटन	फेस वेल्यू पर राइट आधार पर इरकॉन को आवंटित 5,0,00,000 इक्विटी शेयर
2.	ऋण भुगतान अनुसूची	अपेक्षित ऋण के लिए अनुमोदन
3.	पी एफ पंजीकरण	प्रगतिरत कार्य
4.	ईपीसी करार का परिशिष्ट	भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तनों को शामिल करने के लिए ईपीसी करार में आशोधन किया गया है।

ळ. *शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना*

(i) प्रमुख नीतियां और विनियमन:-

कंपनी अपने अधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा उनकी संबंधित क्षमताओं में कार्मिकों को प्राधिकृत करने की दृष्टि से धारक कंपनी - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही नीतियों की तर्ज पर नीतियों का अनुसरण करती है।

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी- इरकॉन के पास है, केवल अतिरिकत, वैकल्पिक या नैमेतिक निदेशकों को छोड़कर। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 59 के अनुसार अध्यक्ष कंपनी के किसी महत्वपूर्ण विषयों पर धारक कंपनी - इरकॉन का निर्णय मान्य होगा, जिसे अध्यक्ष महसूस करे कि धारक कंपनी द्वारा निर्णय लिया जाना है।

(ii) लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों तथा रोकड़ प्रवाह विवरण को, इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध अनुसार 10 जून 2016 को आयोजित अपनी बैठक पर निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(iii) सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) - श्री ए.के.सिंह तथा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) - सुश्री तंजित कौर ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी के मामलों की सही और वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है और सभी सामग्रीगत सूचनाएं उपलब्ध कराता है। उक्त प्रमाणपत्र **अनुबंध-V।** के रूप में संलग्न है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 05.09.2016
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – I

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

(i) औद्योगिक संरचना और विकास

सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग और अधिक विकास और पूंजी अंशदान की ओर बढा है जिसके कारण एनएचएआई द्वारा प्रदान किए अनुसार बीओटी आधार पर ऐसी परियोजनाओं को विकसित और प्रचालित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ऐसी परियोजनाएं प्रदान कर रहा है जिससे निवेशक तथा ठेकेदार, अन्य उद्योगों, जहां सेवा प्रदाताओं के रूप में विकल्पों की उपलब्धता के साथ मांग और आपूर्ति कारक विद्यमान हैं, की तुलना में क्षेत्र के यातायात के आकलन के आधार पर घाटे या अनिश्चितताओं के कम जोखिम के साथ निरंतर आय अर्जित कर सकते हैं। यहां, जब ऐसी परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं, वहां परियोजना के निष्पादन के लिए विश्वसनियता और वित्तीय स्थिति के अनुसार पक्षों को स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व इनका सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि ऐसी परियोजनाओं से अनुमानित आमदनियां बाजार के उतार-चढाव से कम प्रभावित होंगी।

इस प्रकार, एनएचपीडी-चरण IV के अग्रणी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचएआई ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और विस्तार की चुनौती ली है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड (एनएच-15) के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण का कार्य करने के लिए एनएचएआई द्वारा निविदा फ्लोट की गई थी जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन - 100% धारक कंपनी) ने भाग लिया और निष्पादन के लिए यह निविदा प्राप्त की तथा इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड नामक एसपीवी का निर्माण किया। औद्योगिक रूझानों पर आधारित इस परियोजना में विकास की संभावनाएं हैं और अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रास्फीति दरों के सापेक्ष में राजमार्ग ग्राहकों से भारी एकत्रण की संवर्धित संभावनाएं हैं।

(ii) शक्तियां और कमजोरियां

➢ **शक्तियां**

अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण, सड़क तथा राजमार्ग नेटवर्क के और अधिक विस्तारित होने की संभावना है जिसमें अधिक से अधिक निवेश होगा। सड़क यातायात में अच्छे विकास से भारत सरकार के ''मेक इन इंडिया'' द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक गलियारों के कारण बेहतर संड़क संपर्कता और यातायात के सुगम प्रवाह की मांग बढ़ेगी। अगले दो वर्षों में अधिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ राजमार्गों पर यातायात की विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के साथ वर्ष 2020 तक सड़क यातायात की मांग में और वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में और अधिक निवेश तथा अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

कमजोरियां

(i) प्रकृति में परिवर्तन का नुकसार है।.

(ii) राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में समय पर आउटपुट प्रदान करने के संबंध में कुशलता की समस्याएं होती हैं।

(iii) पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण असंभावित लागत वृद्धि।

(iii) **अवसर तथा जोखिम**

➢ **अवसर**

(i) सड़कों और राजमार्गों पर निरंतर बढ़ते वाहनों के कारण प्रचालनों में स्थिरता और विकास हुआ है तथा संबंधित लाभप्रदत्ता बढी है।

(ii) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अनुमानित लाभ-लागत विश्लेषण मॉडल के विकास से अन्य सेवाओं की तुलना में दीर्घकालीन अवधि में संभावित राजस्व (टोल आय) में वृद्धि में सहायता मिलेगी।

- **जोखिम**

(i) राजमार्ग परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब से न केवल परियोजना लागत में वृद्धि होगी बल्कि सीमित रियायत अवधि और ब्याज भुगतानों के संवर्धित बोझ के कारण राजस्व भी प्रभावित होंगे।

(ii) बीओटी परियोजनाओं में, इनपुटों को अनुमानित स्तरों पर अनुरक्षित रखा जाना होता है और उतारचढाव की कम संभावना के साथ यातयात के पूर्वानुमानों को प्राप्त किया जाना होता है।

(iv) आउटलुक (परिदृश्य)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी अग्रणी परियोजना ''राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'' के अंतर्गत और अधिक राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करके तथा निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके और विकास के लिए सृजनात्मक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा निर्माण उद्योग को और बल प्रदान करेगा।

(v) जोखिम और चिंता

- कार्यनिष्पादन प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- निर्माण परियोजनाओं के लिए मौजूदा जोखिम आकलन मॉडल विकसित देशों में अनुसरण की जा रही पद्धतियों के अनुरूप नहीं हैं।

(vi) **प्रचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा**

धारक कंपनी के साथ परामर्श करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय संरचना, प्रचालनिक राजस्व, लागतों और कंपनी के तुलनपत्र पर इसके परिणामों को दर्शाते हुए वित्तीय मॉडल विकसित किया है।

कंपनी वित्त वर्ष 2018-19 से 30 महीनों के अनुमानित समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा हाने के पश्चात राजस्व का अर्जन आरंभ करेगी और ब्याज तथा मूल के पुनर्भुगतान का दायित्व अप्रैल 2018

से आरंभ होगा, जिससे कंपनी को धारक कंपनी से लिए गए 352 करोड़ रूपए के लिए ऋण के लिए पर्याप्त वित्तीय बचाव प्राप्त हो जाएगा।

वित्त वर्ष 2014-15 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

तालिका ।।।: वित्तीय परिणामों का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं	**विवरण**	**31.03.16 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परिणाम**	**31.03.15 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परिणाम**
		अलेखापरीक्षित आंकड़े	**लेखापरीक्षित आंकड़े**
1.	टर्नओवर#	-	-
2.	अन्य आय	5,78,32,722	10,94,403
3.	**कुल आय (1 + 2)**	**5,78,32,722**	**10,94,403**
4.	कुल व्यय	**17,59,204**	**1,58,64,318**
5.	**कर पूर्व लाभ (3-4)**	**5,60,73,518**	**(1,47,69,915)**
6.	कर पश्चात लाभ	3,72,52,769	(1,08,57,298)
7.	**निवल संपत्ति**	**92,63,95,471**	**3,91,42,702**

*** नोट: सभी आय तथा व्ययों को संचित आधार पर रिकार्ड किया गया है और चालू प्रचालनिक व्यय शून्य है।**

(vii) नियुक्त लोगों सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों में सामग्रीगत विकास

कंपनी के कार्यों, वित्तीय गतिविधियों और अनिवार्य अनुपालनों और प्रकटनों की व्यवस्था करने के लिए कंपनी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) तथा कंपनी सचिव की नियुक्ति की है। तकनीकी विषयों के लिए, इरकॉन से कंपनी में एक उप प्रबंधक/सिविल को प्रतिनियुक्त किया गया है। इरकॉन से कंपनी में 13 अन्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिन्हें बीकानेर, राजस्थान के परियोजना स्थल में तैनात किया गया है।

इसके अतिरिक्त, ईसीपी ठेकेदारों को भुगतान, लेखापरीक्षा और अन्य मुद्दों के सहयोक करनेके लिए इरकॉन पीबीटीएल में संविदा आधार पर लेखा सहायक की नियुक्ति के लिए बोर्ड की अनुमति मांगी गई है।

कोई अन्य नियुक्तियां, किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व अनिवार्य अर्हताओं तथा कौशलों और क्षमता मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (गठन पर) के साथ अपेक्षाओं के आधार पर की जाएंगी।

अनुबंध – II

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	**सीआईएन**	यू45400डीएल2014जीओआई272220
2.	**पंजीकरण तिथि**	30.09.2014
3.	**कंपनी का नाम**	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
4.	**कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी**	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	**पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा**	पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017, संपर्क न.29565666
6.	**कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध**	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7.	**रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा**	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1.	राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	**कंपनी का नाम व पता**	**सीआईएन/जीएलएन**	**धारक/सहायक/संबद्ध कंपनियों**	**धारित शेयरों का प्रतिशत**	**लागू अनुच्छेद**
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआ 008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(87)

*** 100%: 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 6 नामितियों के पास हैं।**

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2014 को]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2015 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	**शून्य**	**5000000**	**5000000**	**100%**	**शून्य**	**90000000**	**90000000**	**100%**	**100%**
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	**5000000**	**5000000**	**100%**	**शून्य**	**90000000**	**90000000**	**100%**	**100%**
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**5000000**	**5000000**	**100%**	**शून्य**	**90000000**	**90000000**	**100%**	**100%**

 # निकाय निगम: पब्लिक लिमिटेड कंपनी के निगमन के लिए 7 सदस्यों की सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए 100% शेयरधारिता निगमित निकाय - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 6 नामितियों के पास है। नामिति शेयरधारकों के पास शेयर केवल कंपनी अधिनियम 2013 तथा इससे संबंधित नियमों के अंतर्गत उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए हैं।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता**:**

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋण युक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**$**	5000000	100%	-	90000000	100%	शून्य	1700%
	कुल	5000000	100%	-	90000000	100%	शून्य	1700%

$ प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 9,00,00,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है।

अन्य 6 शेयरधारक पब्लिक लिमिटेड कंपनी (पीएलसी) के निर्माण के लिए अनिवार्य अपेक्षा के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नामिति हैं।

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	5000000	100%	5000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
	(क) आवंटन की तिथि: 29 अक्तूबर, 2014 शेयरों की संख्या में वृद्धि शेयरों की श्रेणी: इक्विटी शेयर		100%	85000000	100%
3.	वर्ष के अंत में	90000000	100%	90000000	100%

* वर्ष**: 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष को दर्शाता है।**

घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं।			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र.सं	निदेशक(निदेशकों) का नाम #	प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**श्री दीपक सबलोक**	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	100	0.002	100	0.002
2.	**श्री अनिल जैन**					
3.	**श्री अशोक कुमार गोयल**	(क) आवंटन की तिथि: 29 अक्तूबर, 2015 शेयरों की संख्या में वृद्धि (इरकॉन को जारी शेयर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		वर्ष के अंत में	100	0.0001	100	0.0001

कंपनी के निदेशक इरकॉन के नामितियों के रूप में शेयर धारण किए हुए हैं (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के कृति और की ओर से); पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमन के समय अपेक्षित सात सदस्यों की न्यूनतम संख्या की सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए 100% धारक कंपनी द्वारा नामित (इरकॉन और इसके 6 नामिती)।

प्रत्येक निदेशक के पास समान संख्या में इक्विटी शेयर हैं।

* वर्ष: **1 अप्रैल को आरंभ होने वाले तथा 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष को दर्शाता है।**

V) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	**जमा राशियों सहित रक्षित ऋण**	**अरक्षित ऋण**	**जमा राशियां**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
i) मूल राशि				
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)	शून्य			
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन				
* आवर्धन				
निवल परिवर्तन	शून्य			
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	-	-	-	-
i) मूल राशि				
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)	शून्य			

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण @	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3.	स्वीट क्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं...	-	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-	-
	कुल (क) $	**शून्य**				
	अधिनियम के अनुसार सीमा	**लागू नहीं**				

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण @	निदेशकों का नाम				कुल राशि
		-----	----	----	---	
1	स्वतंत्र निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (1)	**लागू नहीं**				
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					

	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (2)					
	कुल (ख)=(1+2) $	**लागू नहीं**				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य				
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	**लागू नहीं**				

$ कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक: कंपनी अपनी धारक कंपनी- इरकॉन के अनुमोदन पर अपने बोर्ड में कार्यपालक निदेशकों (प्रबंध निदेशक/पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंधन) की नियुक्ति करता है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है उनकी नियुक्ति और नामांकन किया जाता है। वर्तमान में, कंपनी के पे-रोल में तीन गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, जो बैठक शुल्कों या कमिशन के रूप में शून्य पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**			
		सीईओ#	**सीएस**	**सीएफओ**	**कुल**
1	सकल वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	2,60,402	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3	स्वीट क्विटी	-	-	-	-
4	कमिशन				
	- लाभ के % के रूप मेंt	-	-	-	-
	अन्य, बताएं...	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-
	कुल	**शून्य**	**2,60,402**	**शून्य**	**शून्य**

@ परिश्रमिक: चूंकि पारिश्रमिक वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए; सीईओ तथा सीएफओ के लिए यह शून्य है क्योंकि उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान इन्हें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के रूप में घोषित नहीं किया गया था।

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा	प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					

- कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कंपनी पर या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई दंड नहीं लगाया गया है और अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा शून्य आवंदनों सहित किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है।

अनुबंध - III

फार्म सं. एओसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

(वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु)

****

I) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार : शून्य

II) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार :

क्र.सं.	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1.	**ईपीसी करार** (परियोजना सुविधाओं के विकास सहित प्रदान किए गए कार्य के कार्यक्षेत्र के अनुसार चार या दो लेन परियोजना राजमार्ग के निर्माण कार्य के लिए परियोजना के निष्पादन हेतु ईपीसी कांट्रैक्टर के रूप में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रूप में नियुक्त किया गया है।	अनुमानित अवधि: 30 माह (ईपीसी कांट्रैक्टर द्वारा निर्माण की अवधि)	परियोजना राजमार्ग के विकास के निष्पादन के लिए 646 करोड़ रूपए के मूल्य हेतु संविदा को निष्पादित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इसके लिए इरकॉन को प्रदत्त कार्य व्यय 53.44 करोड़ रूपए है।	5 जनवरी, 2015 तथा 29 अप्रैल, 2015	शून्य (आज की तिथि को)

फॉर्म सं. एओसी-2

क्र.सं.	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
2.	**पट्टा करार** (कार्यालय परिसरों के प्रयोग के लिए किराया)	तीन वर्ष (2015 से 2018)	इरकॉन पीबीटीएल ने सेवा कर को छोड़कर प्रति माह 17,550 रूपए की दर से दिनांक 01.04.2015 से 3 वर्श की अवधि के लिए दिनांक 01.10.2015 को इरकॉन के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर किया है।	-	शून्य (आज की तिथि तक)
3.	**वित्तीय वर्ष 2014-15 में कंपनी सचिव की भर्ती** (वित्तीय वर्ष 2015-16 में भुगतान)	लागू नहीं	इरकॉन एचआरएम द्वारा 5000 रूपए की लगत पर कंपनी सचिव की भर्ती को किया गया था।	29 अक्तूबर 2014	लागू नहीं

अनुबंध-IV

अखिल रोहतगी
एम.कॉम, एलएलबी, एफ.सी.एस

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव,
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054
फोन:011-23926504,
981;690633
ई-मेल:
rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

प्रारूप फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन पीबीटीएल इंटरनेशनल लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अश्विव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अश्लिखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** द्वारा अनुरक्षित बहियों, अश्लिखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(iii) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों संव्यवहार नहीं हुआ है।

(iv) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप-नियम लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के शेयर उक्त अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित किसी डिपॉजटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं।

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम (''सेबी अधिनियम'') लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

(vi) अन्य लागू कानून, नियम और दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं।

(क) लोक उपक्रम विभाग, भार उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश।

(ख) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी (रोजगार के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996.

(ग) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिरियम, 1996

(घ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध तथा निदान) अधिनियम, 2013

(ङ) दुकान एवं स्थापना अधिनियम

(च) पर्यावरण कानून, जो लागू हों

(छ) श्रमिक कानून, जो लागू हों

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक के अनुप्रयोग खंडों के अनुपालनों की जांच भी की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने, उपर्युक्त अनुसार निम्नलिखित को छोड़ कर हमें दिए गए वर्णन और स्पष्टीकरणों के अनुसार और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया है:

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
2. कंपनी द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक यथा मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी और दिनांक 23.03.2016 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी विद्यमान था।
3. "सार्वजनिक उपक्रम विभाग" द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथापेक्षित तिमाही रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्टप प्रस्तुत नहीं की है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि बोर्ड का गठन कार्यपालिक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलनकके से विधिवत रूप से नहीं किया गया है। संवीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक और कार्यपालक निदेशक

नहीं था। यह उल्लेख किया गया है कि बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार इसकी धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।

बोर्ड बैठकों के आयोजन के लिए सभी निदेशकों को उचित नोटिस दिया गया था।कार्य सूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए थे।

इसके अतिरिक्त, बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और सूचना प्राप्त करने और स्पष्टीकरण हेतु तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रमुख निर्णण इसी प्रकार लिए गए हैं।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग और इन्हें सूनिश्चित करने के लिए कंपन के आकार और प्रचालन के अनुसार कंपनी में उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को समग्र रूप से 85,00,00,000/- रूपए के प्रत्येक 10 रूपए के 8,50,00,000/- इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटित किए हैं।

कृते अखिल रोहतीगी एंड कंपनी

अखिल रोहतगी,
पेशेवर कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 1600
सीपी सं.: 2317

दिनांक: 05.09.2016
स्थान :नई दिल्ली।

दिनांक: 5 सितंबर, 2016

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी लाभद्ता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूर्णता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते अखिल रोहतीगी एंड कंपनी

अखिल रोहतगी,
पेशेवर कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 1600
सीपी सं.: 2317

दिनांक: 02.09.2016
स्थान :नई दिल्ली।

अनुबंध – I

निगमित शासन रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन और शासन

इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने अपने गठन से ही अपने निर्णय-निर्धारण और कार्यों में सत्यनिष्ठा, जवाबदेही,उपयुक्त प्रकटन और अनुपालन, पारदर्शिता का अनुपालन करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। विविध सांविधिक प्राधिकरणों को समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और निगमित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अपनाई गई हैं और उन्हें निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा धारक कंपनी, इरकॉन की तर्ज पर निगमित कार्य और शासन तंत्रों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों के मध्य क्रियात्मक आधारित भूमिकाएं सौंपी हैं।

कंपनी के शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुशासन का अनुसरण किया जा रहा है।

क) बोर्ड की संरचना:-

कंपनी में गैर-कार्यपालक बोर्ड है जिसमें इसके सदस्यों के रूप में श्री दीपक सबलोक, अध्यक्ष, श्री अनिल जैन, निदेशक तथा श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक शामिल हैं। गैर-क्रियाशील नामिति सदस्यों के रूप में धारक कंपनी द्वारा बोर्ड के सदस्यों को नामित किया गया है। वे केवल कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उनकी शक्तियां) नियम, 2014 में उपलब्ध सीलिंग सीमाओं के अनुसार बोर्ड तथा समिति बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, धारक कंपनी की किसी अन्य सहायक कंपनी या संबद्ध या संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ कोई अन्य वित्तीय संबंध के बिना धारक कंपनी से पारिश्रमिक आहरित कर रहे हैं।

ख) बैठकें और उपस्थिति

लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान छह बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया है।

उचित नोटिस जारी किए गए थे और समय पर कार्यसूची अभिलेख परिपत्रित किए गए। विशिष्ट मुद्दों के समाधन के लिए प्रस्तुत किए गए निर्धारित प्रस्तावों के साथ निदेशकों और शेयरधारकों द्वारा विचार किए जाने हेतु बोर्ड तथा शेयरधारक बैठकों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों की संख्या और निदेशकों की उपस्थिति
(अन्य कंपनियों और बोर्ड समितियों में उनके निदेशक पद और सदस्याता सहित)

(i) बोर्ड की बैठकों की संख्या और उपस्थिति रिकार्ड

कंपनी अधिनियम, 2013, बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां नियम, 2014 तथा डीपीई (निगमित शासन) दिशानिर्देश 2010, जिसमें एक वर्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली बैठकों और दो निरंतर बैठकों के बीच 90 दिनों के समय अंतराल का प्रावधान है, के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की बैठकें 06 बार आयोजित हुई हैं।

(ii) विभिन्न समितियों (वर्ष के दौरान गठित) की बैठकों की संख्या तथा उपस्थिति रिकार्ड

आज की तिथि को शून्य - अगले वर्ष से लागू होगा।

तालिका IV: वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

क्र.सं.	बोर्ड बैठकों की तिथि	पिछले बैठकों के संबंध में समय अंतराल (दिनों की संख्या)	उपस्थित सदस्यों की संख्या	अनुपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	29 अप्रैल , 2015	-	3	शून्य
2.	27 जुलाई, 2015	88	3	शून्य
3.	26 अगस्त, 2015	29	3	शून्य
4.	17 नवंबर, 2015	82	3	शून्य
5.	9 फरवरी, 2016	83	3	शून्य
6.	23 मार्च, 2016	42	3	शून्य

(iii) निदेशकों की उपस्थिति और बोर्डों और समितियों में उनके निदेशक पद या सदस्यता का ब्यौरा

तालिका V: बैठकों में निदेशक मंडल को प्रतिनिधित्व

नाम व पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या		बोर्ड की समितियों में बैठकों की संख्या		समिति बैठकों में उपस्थिति की संख्या		विभिन्न कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/निदेशक पद	
			सरकारी	अन्य	लेखा परीक्षा	नामांकन एंव परिश्रमिक	लेखा परीक्षा	नामांकन एंव परिश्रमिक	सरकारी	अन्य
श्री दीपक सबलोक, अध्यक्ष	6	6	4	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3	-
श्री अनिल जैन निदेशक	6	6	3	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2	-
श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक	6	6	3	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2	-

पनी के निदेशकों ने नियमित रूप से बोर्ड की बैठकों में भाग लिया है जिसमें संगठनात्मक कार्यों के लिए सकारात्मक और मूल्यवाल विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

साधारण बैठकें

वर्ष 2015-16 के दौरान शेयरधाराकों की केवल एक वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन दिनांक 21.09.2015 को किया गया और आज की तिथि तक वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान केवल एक ईजीएम का आयोजना किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका VI: साधारण बैठकें

क्र.सं	शेयरधारक बैठकों का प्रकार	बैठक की तिथि	संव्यवहार हेतु	
			सामान्य कार्य	विशेष कार्य
1	प्रथम असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम)	3 फरवरी, 2015	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 180(1)(ग) के अंतर्गत प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों से ऊपर कंपनी की ऋण लेने की शक्तियां
2	प्रथम वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम)	निगमन से पहली बार आयोजित की जाने वाली एजीएम	लागू नहीं	लागू नहीं

एनए से तात्पर्य: लागू नहीं

बोर्ड की समितियों का गठन

I. लेखापरीखा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति

दिनांक 31.03.2015 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5 करोड़ रूपए हे। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, प्रथम राइट इश्यू को प्रभावी बनाने के अनुसरण में दिनांक 29.04.2015 को आयोजित अपनी

9वीं बोर्ड बैठक में इरकॉन को 8.50 करोड़ रूपए के इक्विटी शेयरों के आवंटन पर कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर 90 करोड़ रूपए हो गई है। तद्नुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा 178 के अनुसरण में,प्रदत्त शेयर पूंजी के 10 करोड़ रूपए की निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन तथा परिश्रमिक समिति के गठन की अपेक्षा उत्पन्न हो गई थी।

तीन नामिति निदेशकों वाले बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति और नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति बैठकों में भाग लेने के लिए अपने बोर्ड में वित्तीय विशेषज्ञता वाले एक अतिरिक्त अंशकालीन निदेशक की आवश्यकता निर्धारित की है।

इरकॉन ने 23 जून 2016 को आयोजित अपनी 228वीं बोर्ड बैठक में परित संकल्प के तहत इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में वित्तीय ज्ञान वाले अंशकालीन निदेशक के रूप में श्री ए.के.सिंह, महप्रबंधक (निगमित वित्त) को नामित किया है। तत्पश्चात, इरकॉन पीबीटीएल ने फॉर्म डीआईआर-2 में श्री ए.के.सिंह से से सहमति प्राप्त करने के पश्चात उन्हें दिनांक 21 जुलाई 2016 को बोर्ड में नियुक्त किया गया है। इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में वित्तीय ज्ञान वालपे अंशकालीन निदेशक के नामांकन को दिनांक 22 जुलाई 2016 की बोर्ड की 14वीं बैठक में नोट कर लिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा और नामांकन, पारिश्रमिक समिति का गठन प्रगति पर है और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैठकों के आयोजना और संचालन के लिए संदर्भ शर्तों के अनुसार अनुमोदन पर इसका गठन किया जाएगा।

II. सीएसआर समिति

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसरण में पिछले वित्तीय वर्ष 5 करोड़ रूपए के शुद्ध लाभ या 500 करोड़ रूपए की निवल संपत्ति या 1000 करोड़ रूपए के टर्नओवर पर सीएसआर समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है।

कंपनी को निगमनपूर्व व्ययों की प्रतिपूर्ति और प्रशासनिक व्ययों के कारण 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 1,47,69,915 रूपए (कर पूर्व शुद्ध हानि) का घाटा हुआ था। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी को लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 5,60,73,518/- रूपए का निवल कर पूर्व लाभ प्राप्त हुआ है। इसके कारण, निवल कर पूर्व लाभ की 5 करोड़ रूपए की निर्धारित सीमा को पार करने कारण सीएसआर समिति का गठन अनिवार्य हो गया है।

चूंकि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों को दूसरी वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में स्वीकार किए जाने की अपेक्षा है, इसलिए बोर्ड को सीएसआर समिति के गठन के संबंध में अधिसूचित यिका जाएगा और लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी (डीपीई दिशानिर्देशों) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन करते हुए संदर्भ शर्तों के अनुसार अनुमोदन किए जाने पर इसका गठन किया जाएगा।

प्रकटन और सांविधिक अनुपालन :-

बोर्ड द्वारा व्यवसायिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए नामित अधिकारियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन और प्राधिकरण की सुस्पष्ट नीति का अनुसरण करते निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहारों, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण सं संबंधित पर्याप्त प्रकटनों को प्रस्तुत किया गया है और आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया है ताकि सुज्ञात निर्णय लिए जा सकें। प्रकटनों, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए सूचनाएं समयबद्ध आधार पर की जाती हैं और कोई मामला लंबित नहीं है।

निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन के लिए प्रमाणपत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010, कंपनी (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और अनुसूची क्रियान्वयन - खंड 8.2: अनुपालन) द्वारा अनुसरित निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त किए जाने के लिए एक प्रमाणपत्र निर्धारित करता है।

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए उक्त प्रमाणपत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है जिनका कार्यालय 1005, रूट्स टावर, प्लाट सं.7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 में है और इसे यहां **अनुबंध-V(I)** के रूप में संलग्न किया गया है।

अनुबंध – V(I)

अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), 2010 के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अधीन कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटिड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2 (45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को

सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हालांकि कतिपय मामलों में नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार भावी अनुपालन के लिए बल दिए जाने की आवश्यकता है:

(i) डीपीई, 2010 द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की शर्तों के अनुसार बोर्ड की सांविधिक समितियों यथा लपेखापरीक्षा समिति और परिश्रमिक समिति की गठन:

(ii) बोर्ड की संरचना में केवल गैर कार्यपालक बोर्ड सदस्य हैं जिनमें चार गैर क्रियाशील, नामिती निदेशक हैं जिन्हें धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नामित किया गया है। तथापि, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि कंपनीने निगमित शासान पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथापेक्षित डीपीई को तिमाही रिपोर्टें और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
(अरूण कुमार गुप्ता)
एफसीएस- 5551
सीपी सं.- 5086

स्थान: नई दिल्ली
दनांक: 23/08/2016

अनुबंध-VI

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:-

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-
श्री ए.के.सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

ह/-
सुश्री तनजीत कौर
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

दिनांक: 05.06.2016
स्थान: नई दिल्ली

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2015-2016)

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च 2016 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के एक सार की लेखापरीक्षा की है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है।

इन जोखिम आंकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, किन्तु यह विचार व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों को कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना इस प्रकार प्रदान करता है जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप सही और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है:

(क) 31 मार्च 2016 को कंपनी के कार्य की स्थिति,

(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसकी हानि,

(ग) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका रोकड़ प्रवाह।

5. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

(2) अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण बही खातों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(क) कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

(ख) डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।

(ग) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	**क्या कंपनी के पास क्रमश: फ्रीहोल्ड और लीजडीड के लिए क्लियर टाइटल/लीज डीड हैं? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजडीड के उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनके लिए टाइटल**	**कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूमि नहीं है और इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।**

	/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने का कोई मामला है। इसका कारण और इसमें शामिल राशि का उल्लेख करें।	वर्ष के दौरान ऋणों/उधारों /ब्याजों आदि में कोई छूट/बट्टा खाता नहीं हुआ है।
3.	क्या पक्षों के पास उपलब्ध इन्वेंटरी तथा सरकार और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपकर के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है?	रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।
	लंबित विधिक/मध्यस्थता मामलों का आयुवार विश्लेषण और इनके लंबित होने के कारणों और इन विधिक मामलों (विदेशी और स्थानीय) पर व्यय के लिए मॉनीटरिंग तंत्र की विद्यमानता/प्रभावपूर्णता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	कोई विधिक/मध्यस्थता मामला लंबित नहीं है।

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000044एन

ह/-
(राहुल अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 501642

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.062016

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-क

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5 (1) का संदर्भ।

i. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का नियमित कार्यक्रम होता है जो हमारे चिपार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापनोंपर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।

(ग) कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्तियां नहीं है, इसलिए कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3(i)(ग) का प्रावधान लागू नहीं है।

ii. (क) चूंकि कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है, इसलिए कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3(ii) का प्रावधान लागू नहीं है।

iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, पैरा 3 (iii) (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

v. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

vi. कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

vii. क) कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2016 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है।

ग) कंपनी अधिनियम और उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा कोई राशि अंतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

viii. चूंकि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है और ना ही तुलन पत्र की तिथि को कोई डिबेंचर जारी किया है, इस आदेश का खंड3(viii) कम्पनी पर लागू नहीं है।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर या ऋण व्यवस्था के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेशक के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

xi. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इस आदेश के पैरा 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिरियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

xvi. कंपन एक गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन -000044एन

(राहुल अग्रवाल)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 501642

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10.06.2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ख

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के पैरा 5(2)(ड.) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2016 को **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औ संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्किल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों

को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावं/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग

मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2016 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन -000044एन

(राहुल अग्रवाल)

(भागीदार)

सदस्यता सं. 501642

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 10.06.2016

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरण (वित्तीय वर्ष: 2015-16)

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलन पत्र
31 मार्च 2016 को

(आकड़े रूपए में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**शेयरधारकों की निधियां**					
	(क) शेयर पूंजी	2	900,000,000		50,000,000	
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	26,395,471		(10,857,298)	
				926,395,471		39,142,702
2	**शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन**	4	-	-	850,000,000	850,000,000
3	**चालू देयताएं**					
	(क) व्यापार देय राशिया	5	218,136,074.00		-	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	6	50,581,992.00		33,500	33,500
	(ग) अल्पकालीन प्रावधान	7	7,054,382.00		-	
				275,772,448		
	कुल			**1,202,167,919**		**889,176,202**
II.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) स्थिर परिसंपत्तियां					
	- स्थिर परिसंपत्तियां	8	33,723		1	
	- विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां *	9	458,924,534		-	
	(ख) आस्थंगित कर परिसंपत्तियां	10	3,142,923		3,912,617	
	(ग) ऋण एवं अग्रिम	11	417,279		-	
	(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		-		-	
				462,518,458		3,912,618
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) रोकड़ तथा बैंक शेष	12	638,130,369		884,223,552	
	(ख) व्यापार प्राप्य		-		-	
	(ग) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	13	3,625,414		109,440	
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	97,893,678		930,592	
				739,649,461		885,263,584
						-
	कुल			**1,202,167,919**		**889,176,202**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	18				

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000044 एन

राहुल अग्रवाल
साझेदार
स.स. 501642

इरकॉन पीबी टॉलीवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

अनिल जैन
निदेशक
डीआईएन: 05283217

ए.के.गोयल
निदेशक
डीआईएन 05308809

दीपक सबलोक
निदेशक
डीआईएन 03056457

तंजीत कौर
(मुख्य वित्त अधिकारी)

अजय कुमार सिंह
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि :10 जून 2016

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलन पत्र

31 मार्च 2016 को

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण

	नोट सं.	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (रूपए)	30.09.2014 से 31.03.2015 की अवधि के लिए (रूपए)
1. प्रचालन से राजस्व		-	-
2. अन्य आय	15	57,832,722	1,094,403
3. कल राजस्व		**57,832,722**	**1,094,403**
4. व्यय			
क. प्रयुक्त सामग्री की लागत		-	-
ख. व्यापार भंडारण की खरीद		-	-
ग. संपन्न वस्तुएं, प्रगतिरत कार्य तथा स्टॉक-इन-ट्रेड की दरसूची में प्रभार		-	-
घ. कर्मचारी लाभ व्यय			-
ड. वित्तीय लागते	16	787,941	-
चा. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		-	18,499
छ. अन्य व्यय	17	971,263	15,845,819
कुल व्यय		**1,759,204**	**15,864,318**
5. कर पूर्व लाभ		**56,073,518**	**(14,769,915)**
6 कर व्यय			
क. चालू कर		18,051,055	-
ख. पूर्व अवधि कर समायोजन		-	-
ग. आस्थगित कर प्रभार/(ऋण)		769,695	(3,912,617)
		18,820,749	**(3,912,617)**
7. कर पश्चात लाभ		**37,252,769**	**(10,857,298)**
8. मूल प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रूपए के)		0.45	(2.17)
प्रति शेयर ह्रासित आमदनी (प्रत्येक 10 रूपए के)		0.45	(0.12)

1-18

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **इरकॉन पीबी टॉलीवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से**

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 000044 एन

अनिल जैन	ए.के.गोयल	दीपक सबलोक
निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएन: 05283217	डीआईएन 05308809	डीआईएन 03056457

राहुल अग्रवाल

साझेदार

स.स. 501642

तंजीत कौर	अजय कुमार सिंह
(मुख्य वित्त अधिकारी)	(मुख्य कार्यपालक अधिकारीr)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27.07.2015

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड - सीआईएन : U45400DL2014GOI272220)
रोकड़ प्रवाह विवरण
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेत्

(आंकड़े रूपए में)

		2015-16		2014-15	
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
असाधारण मदों व करपूर्व शुद्धलाभ		56,073,518		(14,769,915)	
समायोजन					
मूल्यह्रास परिशोधन तथा हानि		-		18,499	
ब्याज आय		(57,832,722)		(1,094,403)	
अग्रिम कर के अल्प भुगतान पर ब्याज कर		787,941		-	
कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ	**(1)**	**(971,263)**		**(15,845,819)**	
समायोजन:					
व्यापार प्राप्य/ऋणों व अग्रिमों में कमी / (वृद्धि		(3,933,253)		(109,440)	
दर सूचियों में कमी / (वृद्धि		-		-	
अन्य परिसंपतियों में कमी / (वृद्धि		(96,963,086)		-	
व्यापार देयताओं में कमी / (वृद्धि		218,136,074		-	
अन्य देयताओं व प्रावधानों में में कमी / (वृद्धि		50,548,492		33,500	
अल्पकालीन प्रावधानों में(कमी)/ वृद्धि		-		-	
	(2)	**167,788,227**		**(75,940)**	
प्रदत्त कर	(3)	(11,784,613)			
प्रचालन से अर्जित रोकड़	**(1+2-3)**	**155,032,351**		**(15,921,759)**	
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़	**(क)**		**155,032,351**		**(15,921,759)**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित नियत परिसंपति की खरीद		(458,958,256)		(18,500)	
धारक कंपनी से ऋण का पुनर्भुगतान		-		-	
प्राप्त ब्याज		57,832,722		163,811	
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़	**(ख)**		**(401,125,534)**		**145,311**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
शेयर पूंजी		850,000,000		50,000,000	
शेयर आवेदन राशि		-850,000,000		850,000,000	
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल रोकड़	**(ग)**	**-**	**-**	**900,000,000**	**900,000,000**
विदेशी मुद्रा रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों के अंतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	**(घ)**				-
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि	**(क+ख+ग+घ)**		**-246,093,183**		**884,223,552**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (आरंभिक)	**(ड.)**		**884,223,552**		**-**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (अंतिम)	**(चा**		**638,130,369**		**884,223,552**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि	**(च - छ)**		**-246,093,183**		**884,223,552**

नोट:

क. लेखांकन मानक-3 में विनिर्दिष्ट अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।

ख. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में उपलब्ध) रोकड़ और बैंक में शेष शामिल है।

ग. रोकड़ के आउटफ्लो को प्रकोष्ठ में दर्शाया गया है।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000044 एन

राहूल अग्रवाल
साझेदार
स.स. 501642

स्थान: नई दिल्ली
तिथि :10 जून 2016

इरकॉन पीबी टॉलीवे लि. के निमित और उनकी ओर से

अनिल जैन
निदेशक
डीआईएन: 05283217

ए.के.गोयल
निदेशक
डीआईएन 05308809

दीपक सबलोक
निदेशक
डीआईएन 03056457

तंजीत कौर
(मुख्य वित्त अधिकारी)

अजय कुमार सिंह
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

नोट 1

I. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)**

(i) इरकॉन पीबीटीएल का निगमन इरकॉन द्वारा 30 सितंबर 2014 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक विशेष कार्य वाहन के रूप में किया गया था और इरकॉन पीबीटीएल ने 14 नवंबर 2014 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है और इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड को चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण की परियोजना को प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर की शर्तों के अनुसार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी)(टोल) आधार पर किया गया था। कंपनी ने व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्रापत करने हेतु दिनांक 10 अक्तूबर 2014 को फॉर्म सं. 21 पर एमसीए को आवेदन प्रस्तुत किया और 14 नवंबर 2014 को उसे अनुमोदन प्राप्त हो गया था। तदनुसार एसपीवी ने 4 नवंबर 2014 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत करार के अनुच्छेद 24, खंड 24.1 के प्रावधानों के अनुसार, रियायत ग्राही को करार की तिथि से 180 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करना अपेक्षित है ताकि एनएचएआई परियोजना के वास्तविक कार्य आरंभ हाने से पूर्व वह नियुक्ति तिथि, जिसे निर्धारित तिथि कहते हैं, की अधिसूचना कर सके। रियायतग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय समापन पूरा कर लिया गया था; तदनुसार, एनएचएआई द्वारा 14 अक्तूबर 2015 को नियुक्ति तिथि निर्धारित की गई थी। निर्माण अवधि सहित 26 वर्ष की रियायत अवधि 14 को आरंभ हुई जैसा कि एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियुक्ति अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार एनएचएआई द्वारा 327.00 करोड़ रूपए के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) तैयारी का आधार

इन वित्तीय विवरणों को संचित आधार पर एतिहासित लागत परिपाटी के अंतर्गत भारतीय सामान्यत् स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किया जाएगा। जीएएपी में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम,2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार अनिवार्य लेखांकन मानक, अधिसूचना के प्रावधान (अधिसूचित स्तर तक) शामिल हैं। आरंभिक तौर पर नए रूप में जारी लेखांकन मानक या मौजूदा लेखांकन मानक में अपेक्षित परिवर्तन के संशोधन को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर अनुप्रयोग किया जा रहा है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में प्रदर्शित किया जाता है बशर्ते अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

(iii) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपेखित है कि प्रबंधन ऐसे अनुमान और आंकड़े तैयार करे जो परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्टिंग राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक देयताओं को प्रकट कर सके और वर्ष के लिए राजस्व और व्यय की रिपोर्टिंग राशि शामिल कर सके।वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। भावी परिणाम में अंतर इन अनुमानों के कारण हो सकता है और उस अवधि में वास्तविक परिणाम और प्रदान किए गए अनुमानों के बीच अंतरके कारण भी हो सकता है।

(iv) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

मूर्त परिसंपत्तियां

क) मूर्त परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा हानि, यदि कोई हो, को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल मूर्त परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अनियमित रूप से किए जाने की संभावना है, उन्हें ऐसी मूर्त परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित/परिशोधित किया जाएगा।

ग) प्रचालन आरंभ की तिथि तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि उस परिसंपत्ति से भावी आर्थिक लाभ उपक्रम को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन और हानि यदि कोई हो पर आका जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां- कंपनी द्वारा निष्पादित डीओएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्त, और प्रचालन और अंतरण) के संबंध में रियायत अवधि के दौरान टोल राजस्व एकत्रण अधिकार संबंधी निर्माणस सेवा उपलब्ध कराने के लिए विचाराधीन टोल एकत्रण अधिकार प्राप्त करने हेतु।

(v) **रोकड़ एवं बैंक शेष**

रोकड़ तथा बैंक शेषों में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा बैंक डिपाजिट, जिनकी परिपक्वता अवधि तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने तक है, शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में रोकड़, बैंक शेष, उपलब्ध चैक, बैंक ओवरड्राफ्ट पर निवल मांग जमा राशियां शामिल हैं।

(vi) प्राथमिक और अन्य व्ययों के लिए लेखांकन

सामान्य प्रशासनिक व्यय, परामर्शदात्री प्रभार आदि को उनके होने पर लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

(vii) अन्य आय

बैंक में जमा राशि पर ब्याज को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(viii) मूल्यह्रास तथा परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियां

क. मूर्त परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम,2013 अनुसूची ।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी लाइन विधि पर लगाया जाता है (एसएलएम)।

ख. लीजहोल्ड भूमि (परपीचुवल पट्टे से इतर) तथा लीजहोल्ड संपत्ति के मामले में, मूल्यह्रास पट्टा अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है।

ग. वर्ष के दौरान अधिग्रहित, पृथक रूप से 5000 रूतक की लागत वाली . परिसम्पत्तियोंको एक रूपए के चिह्नन हेतु टोकन मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्तियां

25 लाख रूपए से अधिक की लागत वाले प्रत्येक साफ्टवेयर को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षित करके साफ्टवेयर को सफलतापूर्वक शुरू करने की तारीख से सीधी लाइन विधि आधार पर 36 माह की अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रत्येक मामले में 25 लाख तक की लागत वाले सॉफ्टवेयर को चिह्नन के 1 रूपए के टोकन मूल्य के आधार पर क्रय के वर्ष में पूर्ण रूप से परिशोधित किया जाएगा।

(ix) कर

क) चालू आयकर सहित करों की राशि का परिकलन लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रावधान/अदायगी कर दी जाती है।

ख) आस्थगित परिसंपत्तियों को केवल उस स्तर तक मान्यता दी जाती है जहां युक्तिसंगत निश्चितता हो कि पर्याप्त भावी आय उपलब्ध होगी बशर्ते उस आस्थगित कर परिसंपत्ति को छोड़कर, यदि अनामेलित मूल्यह्रास या घाटों को मान्यता दी जाए यदि ऐसी वास्तविक निश्चितता हो कि इनकी वसूली के लिए पर्याप्त भावी करयोगय आय उपलब्ध हो।

ख) आस्थगित आयकर का निर्धारण, तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(x) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी में व्यवसाय की कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं है। सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत निर्धारित मानदंड के अनुसार कंपनी का प्रचालन भौगोलिक संगमेंट के रूप में रिपोर्टिंग के लिए अर्हक नहीं हैं।

(xi) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है:

i) भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii) वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या

iii) एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

(xii) कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले अनुमानित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को अरियायती राशि को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ प्रदान किए जाते हैं जब कर्मचारी प्रतिनियक्ति पर होते हैं।

(xiii) पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें

पूर्व अवधि तथा पूर्व प्रदत्त व्यय से संबंधित आय /व्यय जो प्रत्येक मामले में 1,00,000 रूपए से अधिक नहीं है को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

(ixv) प्रतिशेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनियों के निर्धारण में कंपनी शेयर इक्विटी पर निवल लाभ को देखती है। प्रति शेयर मूल अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या होती है। प्रति शेयर ह्रासित अर्जन का निर्धारण करने के लिए सभी ह्रासित संभावित इक्विटी शेयरों के लिए इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ और उस विधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को समायोजित किया जाता है।

Note 2: Share Capital (One Page)

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
तुलन पत्र
31 मार्च 2016 को

2 शेयर पूंजी

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
प्राधिकृत प्रति 10 रूपए के 17,50,00,000 इक्विटी शेयर	**1,750,000,000**	**1,750,000,000**
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त प्रति 10 रूपए के 90,000,000 इक्विटी शेयर - पर्णत	**900,000,000**	**50,000,000**
कुल	**900,000,000**	**50,000,000**

i) धारित शेयरों की संख्या का संवितरण:

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	900,000,000	100.000%	5,000,000	100.000%
कुल	**900,000,000**	**100%**	**5,000,000**	**100%**

ii) रोकड़ से इतर जारी शेयर

कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया।

iii) शेयरों के साथ संबद्धशर्तें और अधिकार:
(क) वोटिंग

कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य प्रति शेयर 10 रूपए के समान है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ख) लाभांश

कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है क्योंकि कंपनी ने अभी अपना वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं किया है।

(ग) दिवालियापन

कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में इक्विटी शेयर के सभी प्रेफरेंशियल धन के वितरण के पश्चात धारक कंपनी की बकाया परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यह संवितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

iv) इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्याव का पुनर्विनियोजन:

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए	शेयरों की संख्या	रूपए
वर्ष के आरंभ में बकाया जारी, अभिदत्त व पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	5,000,000	50,000,000	-	-
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	85,000,000	850,000,000	5,000,000	50,000,000
वर्ष के अंत में बकाया जारी, अभिदत्त व पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	**90,000,000**	**900,000,000**	**5,000,000**	**50,000,000**

कंपनी ने 29.04.2015 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) को प्रति 10 रूपए के 8,50,00,000 इकिवटी शेयर जारी किए हैं।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलन पत्र
31 मार्च 2016 को

3 आरक्षित निधि व सरप्लस

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
लाभ/हानि				
आरंभिक शेष	(10,857,298)		-	-
जमाः- वर्ष के लिए अर्जित लाभ/(हानि)	37,252,769		(10,857,298)	
घटाः-वर्ष के दौरान विनियोजन				
समापन शेष		26,395,471		(10,857,298)
कुल		**26,395,471**		**(10,857,298)**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
तुलन पत्र
31 मार्च 2016 को

सीआईएन: U45400DL2014GOI272220

4 शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	रूपए		रूपए	
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन		-		85,000,000
कुल		**-**		**85,000,000**

(i) आवंटन के लिए प्राप्त तथा लंबित इक्विटी शेयर आवेदन राशि की संख्या का पुनर्विनियोजन

विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत		शेयरों की संख्या	प्रतिशत
आरंभिक शेष	85,000,000	100%			
जमाःशेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-		-	85,000,000	100.0%
घटाः जारी शेयर	85,000,000	-100%		-	-
कुल	-			**85,000,000**	100.0%

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलन पत्र
31 मार्च 2016 को

5 व्यापार देय राशियां

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
व्यापार देय राशियां			
- अन्य			
(क) संबंधित पक्ष- इरकॉन ईपीसी ठेकेदार		218,136,074	
कुल		**218,136,074**	**-**

6 अन्य चालू देयताएं

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
लेखापरीक्षा शुल्क तथा अन्य					
(क) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क		52,250		28,500	28,500
(ख)आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क		17,175		-	
			69,425		
देय टीडीएम		10,959,592			
			10,959,592		
देय वेट		32,061,762			
			32,061,762		
अन्य सांविधिक देय- कर्मचारी		5,343,628			
			5,343,628		
देय वेतन एवं पारिश्रमिक		11,128			
			11,128		
अन्य देय राशियां					
(क) संबंधित पक्ष- इरकॉन धारक कंपनी		2,088,726		-	
(ख) अन्य देय राशियां		47,731	2,136,457	5,000	5,000
कुल			**50,581,992**		**33,500**

7 अल्पकालीन प्रावधान

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर एवं टीडीएस का निवल रू.1,17,84,613/-,		7,054,382	-
कुल		**7,054,382**	**-**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलन पत्र

31 मार्च 2016 को

8 स्थिर परिसंपत्तियां

वर्ष को समाप्त तिथि
मूल्यह्रास दर

		सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
क्र.सं	विवरण	1/4/15 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2015-16 के दौरान संवर्धन	बिक्री/ बट्टा खाता	समायोजन	31/3/16 को सकल मूल्य	1/4/15 को संचित	वर्ष 15-16 के लिए	बिक्री/ बट्टा खाता	समायोजन	31/3/16 तक कुल	31/3/17 को निवल ब्लॉक	31/3/16 को निवल ब्लॉक
1	मूर्त परिसंपत्तियां												
	कंप्यूटर	-	47,775			47,775		14,053			14,053	33,722	
2	अमूर्त परिसंपत्तियां												
	टैली सॉफ्टवेयर	18,500	-	-	-	18,500	18,499	-	-	-	18,499	1	1
	कुल	18,500	47,775	-	-	66,275	18,499	14,053	-	-	32,552	33,723	1

परियोजना में प्रभारित मूल्यह्रास राशि रू.14,053/-(पिछले वर्ष शून्य रूपए) ।

फुट नोट:

i) निपटान के लिए धारित नियत परिसंपत्तियों को बिक्री/समायोजन कॉलम में शामिल किया गया है और निवल बही

रूपए

	मार्च 2016 को	
परिसंपत्तियों का ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
शून्य		
कुल	-	-

ii) वर्ष के लिए मूल्यह्रास, परिशोधन और घाटे को निम्नानुसार लाभ और हानि खाते के नामे किया गया है:-

रूपए

विवरण	2015-16
मूर्त व अमूर्त परिसंपत्तियों पर	-
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-
निवेश परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास	-
कुल	-

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड **सीआईएन: U45400DL2014GOI272220**

तुलनपत्र

31 मार्च 2016

(आंकड़े रूपए में)

9 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
आरंभिक शेष		-		
वर्ष के दौरान जमा				
इपीसी ठेकेदार की लागत	446,450,703		-	
उपयोगिता सेवा अंतरण लागत	87,912,000		-	
कर्मचारी लागत	6,505,671		-	
परामर्श और निरीक्षण प्रभार	3,963,465		-	
बीमा	1,302,133		-	
किराया (गैर आवासीय)	235,438		-	
बैंक प्रभार तथा अन्य प्रभार	227,283		-	
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	127,949		-	
दरें और कर	54,299		-	
यात्रा और कम्वेयंस भत्ता	41,166		-	
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	14,053		-	
मुद्रण और स्टेशनरी	2,074		-	
विविध प्रचालनिक व्यय	300		-	
		546,836,534	-	-
घटा:-				
प्राप्त किन्तु बिल न की गई राशि		87,912,000		-
कुल		**458,924,534**		**-**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलनपत्र

31 मार्च 2016

10 आस्थगित कर परिसंपत्ति

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	**1-04-2015 को**	**वर्ष के दौरान जमा (घटा)**	**31-03-2016 को**	**31-03-2015 को**
परिसंपत्ति				
प्रावधान :				
- अन्य व्यय	**3,912,617**	(774,525)	3,138,092	**3,912,617**
देयता				
कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनुमत से अधिक आयकर अधिनियम में उपलब्ध अतिरिक्त मूल्यह्रास	**-**	4,831	4,831	**-**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति /देयता	**3,912,617**	**(769,695)**	**3,142,923**	**3,912,617**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलनपत्र
31 मार्च 2016

11 गैर चालू परिसंपत्तियां - ऋण और अग्रिम

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
अरक्षित, वसूली योग्य		
स्टाफ/वाहन अग्रिम	417,279	-
कुल	**417,279**	**-**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलन पत्र
31 मार्च 2016 को

12 रोकड़ और रोकड़ शेष

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य			
क) बैंकों के साथ शेष :			
- एस्क्रो खाते में	14,668,098		
- निर्माण निधि खाते में	208,740		
-चाल खाते में	499,708		
		15,376,546	850,669,181
ख) **अन्य बैंक शेष**			
- सावधि जमा खाते (3 माह से कम की परिवक्वता अवधि वाले)		622,753,823	33,554,371
कुल		**638,130,369**	**884,223,552**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलन पत्र
31 मार्च 2016 को

13 अल्पकालीन ऋण और अग्रिम

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
अरक्षित, वसूली योग्य		
टीडीएस/अग्रिम कर	-	109,440
स्टॉफ/वाहन अग्रिम	148,337	
प्रतिभूति किराया	35,000	
पूर्व प्रदत्त व्यय - बीमा	3,442,077	
कुल	**3,625,414**	**109,440**

14 अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
संचित ब्याज - किन्तु एफडीआर पर देय नहीं	9,981,678	-
प्राप्य किन्तु बिल नहीं किया गया	87,912,000	
कुल	**97,893,678**	**-**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलन पत्र

31 मार्च 2016 को

(आंकड़े रूपए में)

15 अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	30.09.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि हेत
बैंक ब्याज सकल आयकर धनवापसी पर ब्याज	57,827,802 4,920	1,094,403
कुल	**57,832,722**	**1,094,403**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

तुलन पत्र

31 मार्च 2016 को

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	30.09.2014 से 31.03.2015 को समाप्त अवधि हेतु
नोट 16 - वित्तीय लागत		
क. अग्रिम कर में कम भुगतान पर ब्याज व्यय	787,941	-
	787,941	**-**
नोट 17 - अन्य व्यय		
क. लेखापरीक्षा शुल्क	74,425	28,500
ख. विविध शुल्क	50	66
ग. स्टेंप ड्यूटी शुल्क	896,788	-
घ. प्राथमिक व्यय/बट्टाखाता	-	15,811,553
ड. भर्ती व्यय	-	5,000
च. बैंक प्रभार		700
	971,263	**15,845,819**
नोट:		
लेखापरीक्षा का ब्यौरा (सेवाकर सहित) निम्नानसार है:		
क. सांविधिक लेखापरीक्षा शल्क	57,250	28,500
ख. आंतरिक लंखापरीक्षा शल्क	17,175	-
	74,425	**28,500**

18. प्रकटनों सहित लेखों के भाग का निर्माण करने वाले नोट

i. आकस्मिक देयता(उस स्तर तक जहां प्रावधान नहीं किया गया है):

- कंपनी के प्रति दावा जिस ऋण नहीं माना गया है - शून्य रूपए।
- प्रतिबद्धता: व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में की गई बिक्री/प्रापण के संबंध में कंपनी की पूंजीगत प्रतिबद्धता **601.36 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष शून्य)** तथा अन्य प्रतिबद्धताएं **शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य)** है, जिसे विस्तृत विवरण से बचने के लिए प्रकट नहीं किया गया है।

ii. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

कंपनी की प्रति शेयर आमदनी का निर्धारण करने के लिए शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ (यथा कर पश्चात और सांविधिक/विनियामक विनियोजनों के पश्चात लाभ) को ध्यान में रखा जाता है। प्रति शेयर मूल अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या होती है।

विवरण	इकाई	**31.03.2016** को समाप्त वर्ष	**30.09.2014** से **31.03.2015** तक समाप्त अवधि के दौरान
<u>मूल और ह्रासित</u>			
वर्ष के लिए निवल लाभ/(घाटा) (क)	रूपए	37,252,769/-	(108,57,298/-)
मूल ईपीएसके लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (ख)	संख्या	83,265,027	50,00,000
ह्रासित ईपीएसके लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (ग)	संख्या	83,265,027	90,000,000
प्रति शेयर आमदनी – मूल **(क/ख)**	रूपए	0.45	-2.17
प्रति शेयर आमदनी – ह्रास **(क/ग)**	रूपए	0.45	-0.12

iii. कंपनी को किसी "आपूर्तिकर्ता" से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गता आते हैं और इसलिए, इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित प्रदत्त/देय ब्याज सहित समग्र रूप से वर्ष के अंत में अप्रदत्त राशि से संबंधित कोई प्रकटन, यदि कोई हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है। सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को देय का निर्धारण प्रबंधन द्वारा एकत्र सूचना के आधार पर चिह्नित ऐसे पक्षों तक सीमित है। इसका उत्तर लेखापरीक्षकों द्वारा दिया गया है।

iv. कंपनी ने किसी लघु उद्योग इकाई के आपूर्तिकर्ता की कोई सेवा प्राप्त नहीं की है। इस सूचना के आधार पर लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम को देय राशि को 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए बकाया है, वह 31 मार्च 2016 को शून्य रूपए है।

v. कंपनी के कर्मचारियों को इरकॉन (धारक कंपनी) से पीबीटीएल में नामांकन/सेकमेंट आधार पर तैनात किया गया है। मार्च 2015 से मार्च 2016 तक कर्मचारियों से संबंधित पारिश्रमिक आदि का भुगतान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के मापदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है।

vi. **कर्मचारी लाभ (लेखांकन मान -15 के अंतर्गत प्रकटन)** इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को धारक कंपनी से प्राप्त बीजकों/ऋण पत्रों के आधार पर लेखांकित किया जाता है। लेखांकन मानक -।5 (सांशोधित) की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कम्रचारियों के उपदानऔर अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

vii. वर्ष के दौरान आयात और विदेशी मुद्रा व्यय के शून्य मामले हुए हैं और इसलिए आयातों और विदेशी मुद्र व्यय पर सीआईएफ मूल्य के प्रकटन का प्रावधान लागू नहीं है।

viii. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों (यथा गृह निर्माण अग्रिम, बहु-उद्देशीय अग्रिम तथा वहन अग्रिम आदि) को आईपीबीटीएल उनके

नामांकन/सेकेंडमेंट पर केवल वसूली प्रयोजन से इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को अंतरित किया गया था। आईपीबीटीएल की किसी निधि का प्रयोग कर्मचारियों को अग्रिमों के लिए नहीं किया गया था। इसप्रका, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर संचित ब्याज को इरकॉन को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है।

ix. **सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन नीति-17 के अंतर्गत प्रकटन)** कंपनी में कोई रिपोर्ट योग्य व्यवसाय सेगमेंट नहीं हैं। कंपनी के प्रचालन सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत निर्धारित मानदंड के अनुसार कंपनी भौगोलिक सेगमेंट के रूप में रिपोर्टिंग के लिए योग्य नहीं है।

x. एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार, कंपनी को बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों और टेलीफोन केबलों सहित उपयोगिता सेवाओं के स्थानान्तरण का कार्य करने की आवश्यकता है, यदि ये उपयोगिता सेवाएं परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण पर सामग्रीगत प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस प्रकार की सेवाओं के स्थानान्तरण की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) उस सेवा के स्वामी निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

कंपनी ने उपयोगिता सेवाओं (बिजली की लाइनों) के स्थानान्तरण के प्रति 87,,912,000 अनन्तिम की राशि का भुगतान किया है, जिसका स्थानान्तरण ईपीसी ठेकदार द्वारा किया गया था। इस राशि को एनएचएआई से वसूलीयोग्य राशि के रूप में "अन्य चालू परिसंपत्तियों" में वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है क्योंकि एनएचएआई से दरों के अनुमादन का कार्य लंबित होने के कारण स्थानान्तरण संबंधी बिल को एनएचएआई से वसूला नहीं गया है।

xi. **संबंधित पक्ष प्रकटन:**

अन्य राज्य नियंत्रित उपक्रमों के साथ संबंधित पक्ष संबंध और ऐसे उपक्रमों के साथ संव्यवहार के संबंध में राज्य नियंत्रित उपक्रमों को प्रदान की गई छूट के दृष्टिगत संबंधित पक्ष प्रकटन पर लेखांकन मानक (एएस-18) के अंतर्गत ऐसा किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।

xii. वित्तीय विवरणों में चालू और गैर चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए कंपनी के प्रचालन चक्र को एक वर्ष माना गया है।

xiii. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:समूहित/पुन:वर्गीकृत किया गया है जहां गई चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के लिए आवश्यक हुआ।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 000044**एन**

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सीए राहुल अग्रवाल	**(अनिल जैन)**	**(ए के गोयल)**	**(दीपक सबलोक)**
भागीदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 501642	**डीआईएन: 05283217**	**डीआईएन: 05308809**	**डीआईएन: 03056457**

	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(तनजीत कौर)**	**(अजय कुमार सिंह)**	**(सुदोधनी)**
दिनांक: 10 जून 2016	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.06.2016 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों पर पहुंच प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों की जांचों, कंपनी के कार्मिकों और लेखांकन रिकार्डों के कुछ चुनिंदा जांचों तक ही सीमित है। मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143 (6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मेरे ध्यानार्थ आए हैं और जो मेरी दृष्टि से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझाने के लिए आवश्यक हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
क.प्रकटन पर टिप्पणियां **1. रोकड़ एवं बैंक शेष (नोट – 12)** **क) बैंकों में शेष –** - एस्क्रो खाते में - रू. 1,46,68,098/- - निर्माण निधि खाते में - रू. 2,08,740/- - चालू खाते में - रू.4,99,708/- **क) अन्य बैंक शेष** - सावधि जमा खातों में - रू. 62,27,53,823/- (तीन माह से कम की परिवक्वता अवधि वाले) उपर्युक्त शेष राशियां एस्क्रो खातों से हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधियां है। उपर्युक्त शेष राशियों को कंपनी अधिरियम, 2013 की अनुसूची-।।। के अनुसार निर्धारित शेषों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।	भावी अनुपालन के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इंगित अनुसार लेखांकन उपचार को नोट कर लिया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

ह/-
(मीनाक्षी मिश्रा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (वाणिज्यिक)

ह/-
(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन: 3056457

ह/-
(अनिल जैन)
निदेशक
डीआईएन: 05283217

ह/-
(ए के गोयल)
निदेशक
डीआईएन: 05308809

ह/-
(ए.के.सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 007018776

ह/-
(तनजीत कौर)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(ए.के. सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
(सुदोधनी)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :26.09.2016